

संचिका सं०-10/यो०-1-01/2015 (पार्ट) - 1195(10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 11-3-2019

विषय:-भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Flexible Pool for Communicable Diseases Programme (NCDPs)-NLEP, Others Health System Covered under NUHM Flexible Pool, Flexible Pool for Non Communicable Diseases (NCD), RCH Flexible Pool (RCH, RI, PPI) , Flexible Pool for Communicable Disease-SCSP & STSP, Flexible Pool for Communicable Disease (NDCPs), Comprehensive Primary Health Care under HSS, Other Health System for Activities covered under NRHM एवं NVBDCP मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 205.06 करोड़ (दो अरब पाँच करोड़ छः लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 136.7066 करोड़ (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तर लाख छियासठ हजार) अर्थात् कुल रुपये 341.7666 करोड़ (तीन अरब एकतालीस करोड़ छिहतर लाख छियासठ हजार रुपये) की विभागीय स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में मात्र केन्द्रांश मद के उपबंधित राशि में से रुपये 205.06 करोड़ (दो अरब पाँच करोड़ छः लाख रुपये) सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-8294, दिनांक-27.02.2019, पत्रांक-7746, दिनांक-08.02.2019, पत्रांक-6984, दिनांक-10.01.2019, पत्रांक-7000, दिनांक-10.01.2019, पत्रांक-8293, दिनांक-27.02.2019 एवं पत्रांक-8488, दिनांक-06.03.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अन्तर्गत भारत सरकार से विमुक्त कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विभिन्न आवंटनादेशों के आलोक में कहना है कि NHM अन्तर्गत Flexible Pool for Communicable Diseases Programme (NCDPs)-NLEP, Others Health System Covered under NUHM Flexible Pool, Flexible Pool for Non Communicable Diseases (NCD), RCH Flexible Pool (RCH, RI, PPI) , Flexible Pool for Communicable Disease-SCSP & STSP, Flexible Pool for Communicable Disease (NDCPs), Comprehensive Primary Health Care under HSS, Other Health System for Activities covered under NRHM एवं NVBDCP मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 205.06 करोड़ (दो अरब पाँच करोड़ छः लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 136.7066 करोड़ (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तर लाख छियासठ हजार) अर्थात् कुल रुपये 341.7666 करोड़ (तीन अरब एकतालीस करोड़ छिहतर लाख छियासठ हजार रुपये) की विभागीय स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश मद के उपबंधित राशि में से रुपये 205.06 करोड़ (दो अरब पाँच करोड़ छः लाख रुपये) सहायक अनुदान के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है। केन्द्रांश मद के समानुपातिक राज्यांश मद की अवशेष राशि की प्रतिपूर्ति बकाया मद के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में राशि उपबंधित होने के उपरान्त की जाएगी।

Q

2. राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्रों के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :-

Details of fund received from Govt. of India				
S.N	Letter no & date	Amount (Central Shares) 60%	State Shares 40%	Total
Flexible Pool for Communicable Diseases Programme (NCDPs)-NLEP				
1	F.No.G.27018/01/2018-NHM-F-E Government of India, MH&FW dated, 29-11-2018	1,09,00,000	72,66,667	1,81,66,667
	Total-	1,09,00,000	72,66,667	1,81,66,667
Others Health System Covered under NUHM Flexible Pool				
1	L.19016/01/2018-NUHM, dated-27-09-18	29600000	19733333	49333333
2	L.19016/01/2018-NUHM, dated-27-09-18	3500000	2333333	5833333
3	L.19016/01/2018-NUHM, dated-27-09-18	200000	133333	333333
	Total	33300000	22200000	55500000
1.	L.19016/01/2018-NUHM, dated-04-12-18	900000	600000	1500000
2.	L.19016/01/2018-NUHM, dated-04-12-18	400000	266667	666667
3.	L.19016/01/2018-NUHM, dated-04-12-18	7700000	5133333	12833333
4.	L.19016/01/2018-NUHM, dated-04-12-18	7200000	4800000	12000000
5.	L.19016/01/2018-NUHM, dated-04-12-18	62000000	41333333	103333333
	Total-	78200000	52133333	130333333
Flexible Pool for Non Communicable Diseases (NCD)				
1	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD), dated-04-01-2019	255400000	170266667	425666667
2	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD), dated-04-01-2019	28400000	18933333	47333333
3	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD), dated-04-01-2019	49000000	32666667	81666667
4	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD), dated-04-01-2019	5500000	3666667	9166667
5	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD), dated-04-01-2019	4000000	2666667	6666667
6	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD), dated-04-01-2019	400000	266667	666667
	Total-	342700000	228466668	571166668
RCH Flexible Pool (RCH, RI, PPI)				
1	G. 27017-27/2018-19/NHM-Fin/2 dated-04-01-2019	513800000	342533333	856333333
2	G. 27017-27/2018-19/NHM-Fin/3 dated-04-01-2019	8000000	5333333	13333333
3	G. 27017-27/2018-19/NHM-Fin/1 dated-04-01-2019	98700000	65800000	164500000
	Total-	620500000	413666667	1034166667
(i) NVBDCP				
1	G.27018/01/2018-NHM-F(E) dated 07.01.19	17300000	11533333	28833333
2	G.27018/01/2018-NHM-F(E) dated 07.01.19	1400000	933333	2333333
3	G.27018/01/2018-NHM-F(E) dated 07.01.19	89900000	59933333	149833333
	Total-	108600000	72400000	181000000

1195 (10)

11-3-2019

Flexible Pool for Communicable Disease-SCSP & STSP				
1	F.No.G.27018/01/2018-NHM-F-E, dated-19-09-2018	46600000	31066667	77666667
2	F.No.G.27018/01/2018-NIIM-F-E, dated-19-09-2018	3800000	25333330	63333330
Total-		50400000	33599997	83999997
Flexible Pool for Communicable Disease (NDCPs)				
1	F.No.G.27018/01/2018-NHM-F-E, dated-19-09-2018	243000000	162000000	405000000
Total-		243000000	162000000	405000000
Comprehensive Primary Health Care under HSS				
1	G.27017/39/2018-19/NIIM(Finance) 10 dated 28-02-2019	110400000	73600000	184000000
2	G.27017/39/2018-19/NHM(Finance) 12 dated 28-02-2019	68600000	45733333	114333333
3	G.27017/39/2018-19/NHM(Finance) 11 dated 28-02-2019	33900000	22600000	56500000
Total-		212900000	141933333	354833333
Other Health System for Activites covered under NRHM				
1	G.27017/27/2018-19/NIIM-Fin/4 dated 26-02-2019	350100000	233400000	233400000
Grand Total		2,05,06,00,000	1,36,70,66,665	3,41,76,66,666

3. केन्द्रांश की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधोलिखित उपशीर्षों अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(क) केन्द्रांश:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-0202-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037960202, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 3,56,85,000/-में से कुल रुपये 3,56,85,000/- (तीन करोड़ छप्पन लाख पचासी हजार) एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 13,27,42,000/-में से कुल रुपये 13,27,42,000/- (तेरह करोड़ सताइस लाख वियालिस हजार),


(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि 25,39,78,000/-रुपये में से कुल रुपये 25,39,78,000/- (पच्चीस करोड़ उनचालिस लाख अठहत्तर हजार), एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 1,07,59,10,000 (एक अरब सात करोड़ उनसठ लाख दस हजार रुपये) में से कुल रुपये 1,07,59,10,000 (एक अरब सात करोड़ उनसठ लाख दस हजार रुपये)

(iii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं-0209-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-विपत्र कोड-20-2210012000209. पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-(31 06)- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में रुपये 2,99,55,95,000/- (दो अरब निन्यानवें करोड़ पचपन लाख पचानवें हजार) में से रुपये 55,22,85,000/- (पचपन करोड़ बाइस लाख पचासी हजार) मात्र उपबंधित राशि से निकलनीय होगी ।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या- में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेगें । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेगें ।
6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगें तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगें । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।
7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ-134/टि0 पर प्राप्त है ।
10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।
11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट)-.....11.5.10 /स्वा0, पटना, दिनांक-11-3-2019
प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी(Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं0-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, VBD Section, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव ।